



बिहार सरकार
जिलाधिकारी, सुपौल

बिहार सरकार

समाहरणालय, सुपौल
सुपौल-852131
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

दूरभाष: 06473-223112 (कार्यालय)
06473-224210 (फैक्स)
06473-223111, 223311 (आवास)
06473-223041 (फैक्स)
E-mail: dm-supaul.bih@nic.in
Website: www.supaul.bih.nic.in

आदेश

अपर आयुक्त, नि:शक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक-907/आ०नि०को०, दिनांक- 06.12.2018 के आलोक में डॉ० शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, नि:शक्तता, बिहार, पटना का सुपौल जिला में दिव्यांगजनों के हितार्थ आयोजित चलन्त न्यायालय (मोबाईल कोर्ट) व अन्य से संबंधित संशोधित भ्रमण कार्यक्रम की विवरणी :-

क्र० सं०	तिथि	समय सारणी	कार्यक्रम	उपस्थिति	स्थान
1.	26.12.2018 (बुधवार)	3 PM से	प्रेस कॉन्फ्रेंस (इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ)	इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार।	सुपौल परिसर।
2.	27.12.2018 (बृहस्पतिवार)	10 AM से 1 बजे PM तक	जिलाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा।	1. अपर समाहर्ता, सुपौल। 2. उप विकास आयुक्त, सुपौल। 3. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल। 4. असेनिक शून्य चिकित्सक -सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल। 5. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल-जिला। 6. जिला आपदा प्रबंधन के प्रमारी पदाधिकारी, सुपौल। 7. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के प्रमारी पदाधिकारी। 8. जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल। 9. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल। 10. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सुपौल। 11. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल। 12. निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अनिकरण, सुपौल। 13. जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल। 14. जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सुपौल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल। 15. जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल। 16. जिला सहकारिता पदाधिकारी, सुपौल। 17. जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल। 18. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल। 19. जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	TCP, भवन, सुपौल।

				<p>20. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सुपौल।</p> <p>21. श्रम अधीक्षक, सुपौल।</p> <p>22. कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण/भवन निर्माण विभाग, सुपौल।</p> <p>23. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल।</p> <p>24. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सुपौल।</p> <p>25. जिला अभियंता, जिला परिषद, सुपौल।</p> <p>26. जिला खेल पदाधिकारी, सुपौल।</p> <p>27. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल।</p> <p>28. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वीरपुर/ निर्मली।</p> <p>29. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला-सुपौल।</p> <p>30. जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, सुपौल।</p>	
		1 PM से 2 बजे PM तक	पुलिस विभाग पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्योमजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)	1. पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक एवं जिला के सभी थाना प्रभारी (SHO) के साथ बैठक।	TCP, भवन, सुपौल।
		2 PM से 3 बजे PM तक	विश्व विद्यालय/ कॉलेज/प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति व अन्य पदाधिकारियों की बैठक तदोपरान्त।	2. विश्व विद्यालय/कॉलेज/ प्रमुख शिक्षा संस्थानों के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों।	परिसदन सुपौल।
		3 PM से 4 बजे PM तक	लीड बैंक के साथ जिला में स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक	1. लीड बैंक के साथ जिला में स्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधि।	सुपौल परिसदन।
		4 PM से 5 बजे PM तक	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व मॉल का निरीक्षण।	1. स्टेशन अधीक्षक, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, सुपौल एवं अन्य सभी पदाधिकारी।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व मॉल
3.	28.12.2018 (शुक्रवार)	9 AM से 11 बजे AM तक	सदर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं सदर अस्पताल, सुपौल का निरीक्षण तथा पदाधिकारियों के साथ बैठक।	1. अर्सेनिक शल्य चिकित्सक -सह-मुख्य शिक्षित पदाधिकारी, सुपौल एवं अन्य पदाधिकारीगण।	सदर अस्पताल, सुपौल।
		11 AM से 2 बजे PM तक	जन प्रतिनिधि/पंचायत प्रतिनिधि/वार्ड प्रतिनिधि सिविल सोसाइटी समाज सेवी के साथ बैठक।	<p>1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद, सुपौल।</p> <p>2. सभी वार्ड पार्षद, नगर परिषद, सुपौल एवं नगर पंचायत, वीरपुर एवं निर्मली।</p> <p>3. सभी प्रखंड प्रमुख, सुपौल जिला।</p> <p>4. जिला के प्रमुख संस्थाएँ, समाज सेवी, प्रमुख डॉक्टर, राष्ट्रीय न्यास के अभिभावकगण।</p> <p>5. सभी सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी एवं सरकारी संगठन के अध्यक्ष या सदस्य।</p>	जिला परिषद, समाजार, सुपौल।

				6. दिव्यांगजन का संगठन एवं विभिन्न दिव्यांगता से संबंधित जिलों के प्रतिनिधि।	
		2 PM से 3 बजे PM तक	जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला एवं प्रखंड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्राध्यापक/प्राचार्यों के साथ बैठक (रेडमोकेसी बैठक)	1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल। 2. सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल जिला। 3. सभी प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य।	सुपौल परिसदन।
		3 PM से 4 बजे PM तक	असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला एवं प्रखण्डों के विभिन्न पी०एच०सी० के प्रमुख चिकित्सकों के साथ बैठक (एकमोकेसी बैठक)	1. असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल एवं प्रखण्डों के विभिन्न PHC के प्रमुख चिकित्सक, सुपौल- जिला।	सुपौल परिसदन।
		4 PM से 5 बजे PM तक	जिला आई०सी०डी०एस० के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी०डी०पी०ओ० एवं महिला सुपरवाइजर (एल.एस) के साथ (एकमोकेसी बैठक)	2. प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० सुपौल। 3. C.D.P.O. एवं महिला सुपरवाइजर, सुपौल जिला।	सुपौल परिसदन।
		4 PM से 5 बजे PM तक	दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई हेतु चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल पर	1. स्वयंसेवकों (Volunteers) / रेड क्रॉस, समावेशी शिक्षकों (समय शिक्षा) एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों के साथ बैठक (जहाँ चलन्त न्यायालय लगाया जाना है) जिला विधिक सेवा प्राधिकार के PLV (न्यायनित्र) के Volunteers के साथ चलन्त न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक।	सुपौल स्टैडियम
4.	29.12.2018 (शनिवार)	10 AM से 7 बजे PM तक	दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)	1. सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी, जिला-सुपौल।	सुपौल स्टैडियम.
5.	30.12.2018 (रविवार)	11 AM से 2 बजे PM तक	अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा)	1. अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर। 2. अनुमंडल, वीरपुर के सभी विभाग के पदाधिकारी।	वीरपुर निरीक्षण भवन।
6.	31.12.2018 (सोमवार)	10 AM से 7 बजे PM तक	अनुमंडल स्तर पर दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)	1. अनुमंडल, वीरपुर के सभी नोडल पदाधिकारी।	अनुमंडल परिसर, वीरपुर।

अपर आयुक्त, नि:शक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक-907/आ०नि०को०, दिनांक- 06.12.2018 के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे विभाग से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन चार-चार प्रति में दिनांक-23.12.2018 तक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सुपौल में उपलब्ध करा दें, ताकि संकलित कर प्रतिवेदन तैयार किया जा सके।

निदेश दिया जाता है कि अपर आयुक्त, नि:शक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक-907/आ०नि०को०, दिनांक-06.12.2018 में दिये गये निदेश के आलोक में अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी प्रतिवेदन (दिव्यांगजन से संबंधित) के साथ ससमय बैठक में एवं चलन्त न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।
अनुलग्नक :- यथोक्त। (पत्रांक-907/आ०नि०को०, दिनांक-06.12.2018)

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा
सुपौल

जिलाधिकारी
सुपौल

शापांक 526-2 / सा०सु०को०, सुपौल, दिनांक 15/12/2018

- प्रतिलिपि :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त तीन दिन समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय के आयोजन में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करने एवं जिला में पैनल अधिवक्ता, लीगल पैरा Volunteers की सूची भी उपलब्ध कराई जाय तथा पिछले तीन वर्षों में दिव्यांगों के लिए दी गई विधिक सेवा का प्रतिवेदन सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सुपौल को उपलब्ध कराया जाय।
- प्रतिलिपि :- अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद, सुपौल/पुलिस अधीक्षक, सुपौल/अपर समाहर्ता, सुपौल/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सुपौल/उप विकास आयुक्त, सुपौल/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला-सुपौल/जिला भूमि सुधार उप समाहर्ता, सुपौल/जिला अपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल/जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल/सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, सुपौल/निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल/जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल/जिला कल्याण पदाधिकारी, सुपौल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सुपौल/लीड बैंक, प्रबंधक, सुपौल/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सुपौल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सुपौल, उन्हें निदेश है कि जिला अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के साथ संवाददाता सम्मेलन/प्रेस वार्ता दिनांक-26.12.2018 को अपराह्न 03:00 बजे/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सुपौल/जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल/कार्यपालक अभियंता, जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण प्रमंडल, सुपौल/जिला खेल पदाधिकारी, सुपौल/कारा अधीक्षक, सुपौल/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुपौल एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, धीरपुर/जिला अभियंता, जिला परिषद, सुपौल/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल-जिला/स्टेशन अधीक्षक, सुपौल/सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी, सुपौल/जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, सुपौल/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका, सुपौल को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्र में दिये गये निदेश के अनुरूप सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक निदेशक

सामाजिक सुरक्षा

15/12/18

जिलाधिकारी,
सुपौल।

15/12